RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 | मुंबई : शनिवार 13 जनवरी 2023 | वर्ष 05 | अंक 262 | संपादक : फैसल शेख | पृष्ठ : 4 | कीमत : 03 रुपये

दैनिक रोकठोक लेखनी ®

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

'लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक आएगा भूचाल...'

मुख्यमंत्री शिंदे का दावा !

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में 'राजनीतिक भूचाल' आएगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी–न्हावा शेवा अटल सेतु' का शुक्रवार को उद्घाटन करने के बाद शिंदे एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे.

भारत का यह सबसे लंबा समुद्री पुल दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई में न्हावा-शेवा से जोड़ता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश 'बुलेट की स्पीड' से प्रगति कर रहा है. उन्होंने कहा, ''लोकसभा चुनाव के बाद, राज्य में एक राजनीतिक भूचाल आएगा... हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मोदी 400 से अधिक सीटों के साथ तीसरी बार सत्ता में लौटें, जबकि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन (लोकसभा की कुल 48 में से) 45 से अधिक सीटें जीतेगा.''सीएम शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र का सत्तारूढ़ गठबंधन - जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) शामिल हैं - विकास के एजेंडे पर चुनाव का सामना करेंगे. मुख्यमंत्री की टिप्पणी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस फैसले के दो दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे का गुट ''असली शिवसेना''है. सीएम शिंदे ने अटल सेतु को लेकर कहा कि कोविड के काल के दौरान भी अटल सेतु के काम चलता रहा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भेजी चादर, 13 जनवरी से मनाया जायेगा 812वां उर्स...

अजमेर शरीफ दरगाह एकता की मिसाल है और हिंदुस्तान की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक परंपरा की निशानी है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा को चादर सौंपी है. इस चादर को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर चढ़ाया जायेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल अजमेर शरीफ दरगाह पर इसी तरह उर्स के मौके पर चादर भेंट करते हैं. हर साल की तरह इस साल भी उनकी भेंट की गई चादर को दरगाह पर चढ़ाया जाएगा. बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य इस चादर को 13 जनवरी को दोपहर अजमेर शरीफ में दरगाह पर चढ़ाएंगे. पीएम मोदी ने अल्पसंख्यक मोर्चा के जिन सदस्यों को चादर सौंपी है, उनके नाम हैं- अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तरीक मंसूर. उनके साथ कई और मुस्लिम नेता भी इस दौरान शामिल होंगे. प्रधानमंत्री इसी के साथ अप

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बताया महान सूफी

इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा था कि हमारे देश के संतों, पीरों और फकीरों ने शांति, एकता और सद्भावना के पैगाम के लिए राष्ट्र के सांस्कृतिक ताने-बाने को सदैव मजबूती प्रदान की है. पीएम मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत की आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक बताया था.

इस साल 812वां उर्स मनाया जायेगा

अजमेर शरीफ दरगाह पर इस साल 812वां उर्स मनाया जा रहा है. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हर साल उर्स के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं. 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की भेजी गई ये चादर चढ़ाई जायेगी. प्रधानमंत्री मोदी पिछले दस साल से अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए भेज रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने चादर भेजने के साथ ही मानवता का संदेश भी भेजते हैं. पिछले साल उन्होंने संदेश भेजा था– दुनिया को प्रेम, सौहार्द और बंधुत्व का संदेश देने वाले महान सूफी संत के वार्षिक उर्स पर अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर भेजते हुए मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.

मुंबई में बढ़ेगा तापमान...

मुंबई: मुंबई में अधिकतम तापमान अभी भी अधिक है, सुबह कोहरा और दोपहर में चिलचिलाती धूप. गुरुवार को भी माहौल में गर्माहट महसूस हुई। इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन तापमान में बढ़ोतरी होगी. पारा 35 डिग्री सेल्सियस तक जाने की आशंका है. इससे मुंबईकरों को गर्मी झेलनी पड़ेगी। मुंबई में दिन भर गर्मी महसूस होती है और सुबह कोहरा छाया रहता है। मौसम विभाग के कोलाबा केंद्र ने गुरुवार को अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जबकि सांताक्रूज केंद्र ने अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया. दोनों केंद्रों पर तापमान औसत से ऊपर था। दोनों केंद्रों पर गुरुवार को न्यूनतम तापमान क्रमशः 23.2 डिग्री सेल्सियस और 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

वसई विरार शहर में फर्जी डॉक्टरों का तांडव

2023 में 19 फर्जी डॉक्टरों पर हुई कार्रवाई !

वसई : 2023 में वसई विरार नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने कुल 19 फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से कई डॉक्टर बिना मेडिकल सर्टिफिकेट, दूसरे नाम और बिना मंजूरी के एलोपैथी क्लीनिक चला रहे थे। वसई विरार शहर में बड़े पैमाने पर अनाधिकृत निर्माण हो रहे हैं और नई बस्तियां बसाई जा रही हैं. इन अनधिकृत निर्माण क्षेत्रों में फर्जी डॉक्टरों का बोलबाला है। विदेश के गैर-मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों से डिग्री लेकर बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे मरीजों का गलत इलाज होता है और उनके स्वास्थ्य को खतरा होता है. वे किसी गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या प्रमाणपत्र के बिना अवैध रूप से क्लीनिक चला रहे हैं। इनमें से कई डॉक्टर डॉक्टर होने का दिखावा कर रहे थे और मरीजों का इलाज कर रहे थे जबकि वे वास्तव में डॉक्टर नहीं थे। पिछले साल नगर पालिका ने ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। साल भर में नगर पालिका ने कुल 19 झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई कर उनकी दुकानें बंद करा दीं। इन सभी फर्जी डॉक्टरों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, मेडिकल प्रोफेशन एक्ट, 1961 की धारा 33, 33 (ए) और मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 18 (सी) 18 ए, 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भारी मात्रा में कोकीन जब्त; 1.18 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ बरामद

मुंबई : पुलिस ने गुरुवार को ड्रग फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है। वहां से करोड़ों की ड्रग्स भी बरामद की गई है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जानकारी के मुताबिक, मुंबई की मालवणी पुलिस ने कांदिवली थाना क्षेत्र के लालजीपाड़ा इलाके की झुग्गी बस्ती में चल रही एक ड्रग फैक्ट्री का पदार्फाश किया है। इस दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 1.18 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ बरामद किए गए।

इस बीच थाईलैंड की राष्ट्रीयता वाली 21 वर्षीय महिला को मुंबई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया है। उसके सामान से भारी मात्रा में कोकीन जब्त की गई। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 40 करोड़ रुपये बताई जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय के मुताबिक, महिला को ठउद्धर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। महिला ने अदीस अबाबा से यात्रा की थी।

संपादकीय / लेख

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

स्पीकर का सवालिया फैसला

महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधायकों को अयोग्य करार देने की याचिकाओं पर फैसला सुनाने में 18 माह से अधिक का वक्त लिया, फिर भी व्यवस्था सवालिया है। स्पीकर यह व्याख्या करते रहे कि 'असली शिवसेना' कौन-सी है? उसका नेता कौन है? पार्टी का कौन-सा संविधान मान्य है? उद्धव ठाकरे की शक्तियां क्या थीं? शिवसेना में पार्टी प्रमुख से ताकतवर राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। शिवसेना पर फैसला तो चुनाव आयोग सुना चुका था। पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न 'धनुष-बाण' एकनाथ शिंदे की सेना को आवंटित किए जा चुके थे, लेकिन सर्वोच्च अदालत के सवाल कुछ और ही थे। चूंकि स्पीकर ने व्यवस्था दी है कि शिंदे गुट ही 'असली शिवसेना' है। शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे को नहीं था। पार्टी प्रमुख की इच्छा और निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नहीं थे। स्पीकर ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को ही संवैधानिक नहीं माना। शिवसेना संविधान में 2018 में जो संशोधन किए गए थे, उन्हें भी मान्यता नहीं दी, क्योंकि वह दस्तावेज चुनाव आयोग में उपलब्ध नहीं था। यहां महत्त्वपूर्ण सवाल उठता है कि 2019 के आम चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव के लिए जो पार्टी प्रत्याशी पत्र जारी किए गए और जिन्हें चुनाव आयोग ने स्वीकार भी किया, उन पर किसके हस्ताक्षर थे? यहां उद्धव ठाकरे 'संवैधानिक' कैसे हो सकते हैं? संविधान पर चुनाव आयोग और स्पीकर को स्पष्टीकरण देने चाहिए, क्योंकि यह संविधान से जुड़ा मामला है। स्पीकर नार्वेकर ने अपनी व्यवस्था का आधार 1999 के शिवसेना संविधान को बनाया है, जिसमें तत्कालीन पक्ष प्रमुख बाल ठाकरे ने पार्टी प्रमुख के बजाय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वर्चस्व को स्थापित किया था। सर्वोच्च अदालत की न्यायिक पीठ का भी मानना है कि विधायक दल से ज्यादा महत्त्वपूर्ण और ताकतवर पार्टी का संगठन होता है, क्योंकि वह ही मूल है। राजनीतिक शाखाएं कई हो सकती हैं। बहरहाल 2024 में 1999 का पार्टी संविधान पूर्णतः प्रासंगिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव हुए हैं। विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। यदि संविधान में संशोधन नहीं किए गए और शिवसेना में संगठनात्मक चुनाव भी नहीं कराए गए, तो बहुत कुछ वैध नहीं था। बल्कि सवालिया ही था। प्रत्याशी पत्रों पर हस्ताक्षर के सवाल भी लगातार उठेंगे। स्पीकर के निर्णय के बाद कई कानूनी चुनौतियां सामने आएंगी। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सत्ता सुरक्षित और स्थिर है। स्पीकर ने किसी भी पक्ष के विधायकों को 'अयोग्य' करार नहीं दिया है, लेकिन शिंदे सेना को अभी जश्न मनाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि स्पीकर के फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी जाएगी। चूंकि वह इस फैसले को लोकतंत्र, संविधान और 10वीं अनुसूची की हत्या मानते हैं, लिहाजा सर्वोच्च अदालत की समीक्षा चाहेंगे। स्पीकर के सामने एक और विवादास्पद मामला है कि उन्हें 31 जनवरी तक एनसीपी के विभाजन पर भी व्यवस्था देनी है। एनसीपी के 40 से अधिक विधायक सत्तारूढ़ एनडीए के घटक हैं। उपमुख्यमंत्री अजित पवार उनके नेता हैं। महाराष्ट्र का राजनीतिक घमासान अभी जारी रहेगा और लोकसभा चुनाव करीब तीन माह दूर ही हैं। इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। शिंदे सेना की मुसीबतें समाप्त होती नहीं लगतीं। बल्कि गठबंधन के भीतर से ही मुसीबतें झांकती नजर आएंगी। भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

वसई आरटीओ में पंजीकृत अरुणाचल प्रदेश के 60 वाहनों पर नकली इंजन और चेसिस नंबर

मुंबई : महाराष्ट्र में वसई के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत कई वाहनों में नकली इंजन और चेसिस नंबर पाए हैं। महाराष्ट्र परिवहन अधिकारियों ने पिछले तीन सालों में वसई आरटीओ में पंजीकृत अरुणाचल प्रदेश के 60 वाहनों पर नकली इंजन और चेसिस नंबर का पता लगाया है। इन गाड़ियों में अधिकतर बस और ट्रक शामिल हैं।

वसई आरटीओ कार्यालय ने इस मामले में कहा कि इन वाहनों को महाराष्ट्र लाने से पहले उन्हें अरुणाचल प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों के साथ पंजीकृत किया गया होगा। कार्यालय ने आगे कहा कि गाड़ियों के इंजन और चेसिस नंबर उनके निमार्ताओं के रिकॉर्ड से नहीं मिल रहे हैं। मालूम हो कि पुलिस ने इस संबंध में पिछले माह एक मामला दर्ज किया था और 34 बसों और 26 ट्रकों टैक करने पर जोर दिया था।

ट्रांसपोर्टरों ने इस मामले में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आरटीओ के अधिकारी इतनी बड़ी संख्या में वाहनों के नकली चेसिस और इंजन नंबरों को पकड़ने में कैसे विफल रहे। उन्होंने कहा कि आरटीओ कर्मचारियों को चेसिस और इंजन नंबर के साथ छेड़छाड़ की जानकारी को पता लगाने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। ट्रांसपोर्टरों को संदेह है कि टैक्स से बचने के लिए वाहनों को पूर्वोत्तर राज्य से बाहर स्थानांतरित किया गया होगा। आरटीओ के अधिकारियों ने बताया कि मुंबई में आठ साल पुराने वाहनों को चलने की अनुमति नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इन सभी वाहनों को पहले फर्जी दस्तावेजों के साथ उनके बारे में गलत जानकारी के साथ अरुणाचल प्रदेश में पंजीकृत किया गया और बाद में महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया गया।

ताजमहल चाय का स्टॉक बंद करने का निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्र में कुछ वितरकों ने शुक्रवार से हिंदुस्तान यूनिलीवर की ताजमहल चाय का स्टॉक बंद करने का निर्णय लिया है। कंपनी के नए मार्जिन ढांचे के विरोध में वितरकों ने यह कदम उठाया है। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद वितरक संघ द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि महाराष्ट्र उपभोक्ता उत्पाद वितरक संघ ने कंपनी से मूल मार्जिन 5 प्रतिशत रखे जाने को कहा है, जिसे एचयूएल ने पिछले महीने 100 शहरों में 3.9 प्रतिशत से घटाकर 3.3 प्रतिशत कर दिया। राज्य में वितरकों ने 25 जनवरी से 'किसान' उत्पादों और उसके बाद 10 फरवरी से 25 फरवरी तक 'रिन' उत्पादों का स्टॉक बंद करने की भी योजना बनाई है।

मुंबई नगर निगम के पार्कों में फिर से संगीत कार्यक्रम

मुंबई: संगीत के क्षेत्र में उभरते कलाकारों की कला को एक मंच प्रदान करने, अधिक से अधिक नागरिकों में भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि पैदा करने और पार्कों में सुबह की सैर के लिए आने वाले नागरिकों को एक खूबसूरत अनुभव देने के लिए सुबह नगर पालिका के उद्यान विभाग द्वारा 14 जनवरी को मुंबई शहर और उपनगरों के कुल दस पार्कों में मुंबई 'ग्रीन राग' संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

नाबालिग लड़की का वीडियो बनाकर मांगी फिरौती... 4 नाबालिगों के खिलाफ मामला दर्ज

मुंबई: डोंगरी इलाके में 12 साल की एक लड़की का यौन शोषण किया गया और उससे जबरन वसूली की मांग की गई और चार लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन लड़कों को डोंगरी बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।12 साल की पीड़ित लड़की को अप्रैल 2023 में दो लड़कों ने वीडियो कॉल किया था। उस वक्त आरोपी ने पीड़ित लड़की को धमकाया और कपड़े उतारने को कहा और उसका वीडियो बना लिया.

वह समय-समय पर उससे अश्लील तस्वीरें भी मांगता था। उन्होंने इस तस्वीर और फिल्मांकन को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी. इसके बाद आरोपी पीड़ित लड़की से पैसे की मांग करने लगा। आरोपियों ने लड़की से 20 हजार रुपये की फिरौती मांगी. लड़की ने इन लड़कों को आठ हजार रुपये दिये. लेकिन उसने अधिक रकम देने से इनकार कर दिया. आरोपी उसे धमकी दे रहे थे। आखिरकार पीड़ित लड़की ने ये घटना अपनी मां को बताई तो उन्होंने डोंगरी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. तदनुसार, पुलिस ने चारों नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

दुग्ध उत्पादकों की लूट पर तत्काल रोक लगाने की मांग

मुंबई : दूध की कीमतों में गिरावट के कारण दुग्ध उत्पादकों को राहत देने के लिए सरकार ने ५ रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इससे दुग्ध उत्पादक किसानों को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन इसके साथ-साथ दूध की बढ़ती उत्पादन लागत को कम करने, दूग्ध में मिलावट को रोकने, दोषपूर्ण तराजू और दूध मीटर का उपयोग करके दुग्ध उत्पादकों की लूट पर तत्काल रोक लगाने की मांग किसान संघर्ष समिति ने की है।

दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील की अध्यक्षता में 'स'ाद्रि'गेस्ट हाउस में हुई बैठक में दुग्ध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिति और किसान सभा ने इन मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। दूध सब्सिडी का मामला कुछ हद तक आगे बढ़ने के बाद अब दुग्ध विकास विभाग और सरकार से इन बचे हुए मुद्दों को लेकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। पशुओं के चारे, दवाइयों और पूरक पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इससे दूध की उत्पादन लागत भी बढ़ रही है। क्षेत्रीय दुग्ध विकास अधिकारी सतीश देशमुख द्वारा घोषित प्रति लीटर दूध उत्पादन की औसत लागत ४२.३३ रुपए है। सरकार ने सब्सिडी के साथ दूध की कीमत मात्र ३२ रुपए घोषित की है। क्षेत्रीय दुग्ध विकास कार्यालयों द्वारा घोषित दूध उत्पादन लागत की तुलना में, सब्सिडी के बावजूद दूध उत्पादक किसानों को अभी भी १० रुपए का नुकसान होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसानों के पास दूध के कारोबार से बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

वर्ष २०१८-१९ में हुई २०वीं पशुधन गणना के अनुसार, राज्य में १३९.९२ लाख गायें और ५६.०४ लाख भैंसें हैं। राज्य की कुल आय में पशुधन का बड़ा हिस्सा है। इससे राज्य को काफी टैक्स मिलता है। यदि राज्य सरकार पशुधन और डेयरी व्यवसाय से अर्जित इस कर का एक हिस्सा पशुपालन पर खर्च करती है तो भी डेयरी व्यवसाय की स्थिति निश्चित रूप से बदल सकती है। पशु आहार कंपनियां लगातार पशु आहार की कीमत में बढ़ोतरी कर रही हैं। जब दूध की कीमत बढ़ती है तो कंपनियां तुरंत पशु आहार की कीमत बढ़ा देती हैं, लेकिन जब दूध की कीमत कम हो जाती है या कच्चे माल की कीमत कम हो जाती है तो पशु आहार की कीमत कम नहीं होती है।

ठाणे में नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न मामले में 1 व्यक्ति दोषी करार

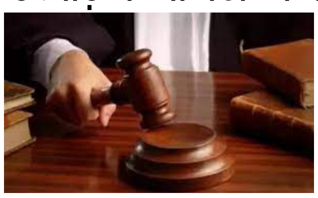

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2019 में एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में 34 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश वीवी विरकर ने बुधवार को पारित अपने आदेश में व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अभियोजन के अनुसार अदालत ने दोषी को सात महीने की सजा सुनाई जो वह विचाराधीन कैदी के रूप में काट चुका है। अदालत ने उस पर एक हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि उस वक्त लड़की की उम्र 12 साल थी और कक्षा आठ की छात्रा थी। दोनों ही मीरा इलाके में रहते थे। आरोपी अक्सर लड़की का पीछा करता था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि 26 दिसंबर, 2019 को जब लड़की पढ़कर लौट रही थी तब युवक उसे एक मंदिर के पास ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से एक लाख रुपये और 78 साल पुनाना पेन चोरी... बड़ी कंपनी का डायरेक्टर है पीड़ित

मुंबई : आमतौर पर सुरक्षित मानी जाने वाली हवाई यात्रा में चोरी की घटनाएं कम ही सुनने को मिलती हैं, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर शुक्रवार को चोरी की एक घटना सामने आई है। यहां एक यात्री ने अपने बैग से छेड़छाड़ करने और उसमें से एक लाख रुपये के साथ में 78 साल पुराना पेन गायब होने की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दरअसल, मणिपाल ग्रुप कंपनी के एक निदेशक बिनोद कुमार मंडल ने बुधवार को मंगलुरु से मुंबई की फ्लाइट से सफर किया। जब वो मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके बैग से एक लाख रुपये नकद और 78 साल पुराना फाउंटेन पेन चोरी हो गया। मंडल ने एयरपोर्ट के कर्मचारियों का चोरी का शक जताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,

बिनोद कुमार मंडल को डोमेस्टिक टर्मिनल पर उतरने के बाद पता चला कि उनके बैग का नंबर लॉक और जिप से छेड़छाड़ हुई है।

पारिवारिक विरासत था फाउंटेन पेन- पीड़ित

मंडल के अनुसार, वह दो दिन के लिए मुंबई यात्रा पर एक लाख रुपये कैश लेकर आए थे। मंडल के पास उनके दादा द्वारा साल 1946 में खरीदा गया फाउंटेन पेन, जिसकी कीमत 5,000 रुपये थी गायब हो गया। उन्होंने बताया कि यह पेन उनके दादा ने उन्हें गिफ्ट में दिया था और यह उनकी पारिवारिक विरासत थी।

एयरपोर्ट के अंदर लोगों द्वारा की गई लापरवाही

बिनोद कुमार मंडल ने कहा कि उनके साथ में सामान चोरी की घटना पहली बार हुई है। उन्होंने कहा कि वह लगातार यात्राएं करते रहते हैं और यह एयरपोर्ट के अंदर लोगों द्वारा की गई लापरवाही है, अन्यथा ये चोरी नहीं होती। उन्होंने कहा कि मुझे शक हैं कि सामान की स्कैनिंग करने वाले शख्स ने लोडर को सूचना दी होगी जिसने ऐसी जगह से नकदी चुराई होगी जहां कोई सीसीटीवी मौजूद नहीं है।

मणिपाल ग्रुप फर्म के निदेशक हैं मंडल

बिनोद कुमार मंडल मणिपाल ग्रुप फर्म के निदेशक हैं। उन्होंने कहा कि मैंने यह सोचकर नकदी बैग में रखी थी कि इसे चोरी नहीं किया जा सकता। मंडल ने कहा कि जब आप किसी नए शहर में जाते हैं तो चोरी की आशंका हमेशा बनी रहती है। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि अधिकारी परेशानियों का समाधान करने के बजाय वो पीड़ितों के धैर्य की परीक्षा लेते हैं।

मुख्यमंत्री शिंदे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले ठाकरे गुट के नेता को मिली अग्रिम जमानत

मुंबई : यहां की अदालत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में शिवसेना नेता हेमंत पलव को अग्रिम जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (डिंडोशी अदालत) आशीष अयाचित ने आठ जनवरी को अग्रिम जमानत दी, लेकिन आदेश की विस्तृत प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध हुई। पलव ने क्षेत्रीय अखबार की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

ठाणे में फिल्म अन्नपूर्णी को लेकर एक्ट्रेस नयनतारा और 7 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज...!

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने अभिनेत्री नयनतारा सहित आठ लोगों के खिलाफ इस आरोप के चलते मामला दर्ज किया है कि उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अन्नपूर्णी के कुछ दृश्यों को लेकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शुक्रवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मीरा-भयंदर के निवासी 48 वर्षीय शिकायतकर्ता ने नया नगर पुलिस थाने में अपनी शिकायत में कहा कि फिल्म लव जिहादको भी बढ़ावा देती है।

फिल्म को नेटफ्लिक्स से हटा दिया गया है। नया नगर पुलिस थाने के प्रभारी (एसएचओ) ने कहा कि बृहस्पतिवार को अभिनेत्री एवं निमार्ता नयनतारा सहित आठ लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295-ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य) और 505 (2) (पूजा स्थल पर किया गया अपराध) 34 (साझा मंशा) (दोनों को मिला कर पढ़ा जाए) के तहत मामला दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस ने बृहस्पतिवार को कहा कि दो दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यकताओं ने नयनतारा और फिल्म से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ अलग-अलग शिकायतें दर्ज की थीं, जिनमें आरोप लगाया गया कि इसमें कुछ दृश्य हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। एक अधिकारी ने बताया बजरंग दल के कार्यकताओं द्वारा दो दिन पहले पश्चिमी उपनगर के ओशिवारा पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी और इस संबंध में जांच चल रही है।

एक अधिकारी ने बताया कि दूसरी शिकायत हिंदू आईटी सेल के संस्थापक रमेश सोलंकी द्वारा दक्षिण मुंबई के लोकमान्य तिलक मार्ग पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। सोलंकी ने आरोप लगाया है कि फिल्म में भगवान राम की गरिमा को कमतर किया गया है और इसे जानबूझकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए रिलीज किया गया है।

नगर पालिका में 122 करोड़ का ठेकेदार घोटाला...

पांच साल तक जांच रुकी रही

वसई: वसई विरार नगर निगम में ठेकेदारों द्वारा किए गए 122 करोड़ के गबन मामले की जांच पिछले 5 साल से रुकी हुई है. मामले की जांच विशेष जांच दल से कराने का तत्कालीन मुख्यमंत्री का वादा भी खोखला साबित हुआ है. हाल ही में हुए हिवासी अधिवेशन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले में जल्द ही अंतिम रिपोर्ट सौंपने का वादा किया है. साल 2018 में वसई विरार नगर निगम में ठेकेदारों द्वारा करीब 122 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला सामने आया था. 2012 से 2018 तक 6 साल की अवधि में ठेका श्रमिक उपलब्ध कराने का ठेका लेने वाले 25 ठेकेदारों ने करीब 122 करोड़ रुपये का गबन किया था. मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी गई।

हालाँकि, उन्होंने अभियुक्तों के लाभ के लिए जांच में देरी की और कई गलतियाँ कीं। ठेकेदारों को फरार दिखाकर गिरफ्तारी से बचा लिया गया। इस मामले में कोंकण डिविजनल कमिश्नर (कोकण डिविजन) द्वारा चल रही जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये जांच 5 साल से रुकी हुई है. इसके चलते ठेकेदार आजाद है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नगर पालिका में ये ठेकेदार फिर से सक्रिय हो गए हैं।

एसआईटी का गठन नहीं किया गया है

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने विरार में एक सार्वजनिक बैठक की। इस समय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि वसई विरार नगर निगम घोटाले की विशेष जांच टीम गठित कर जांच करायी जायेगी. मुख्यमंत्री के निर्देश मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और ठेकेदार घोटाले के मामले में आकाश इंटरप्राइजेज के ठेकेदार विलास चव्हाण को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने कहा था, हमने इस मामले में पहली गिरफ्तारी कर ली है और अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन, न तो विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन हुआ और न ही अन्य आरोपित ठेकेदारों की गिरफ्तारी हुई.

इस मामले में प्रहार पार्टी के पालघर जिला अध्यक्ष हितेश जाधव ने जांच पूरी कर दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. यह सवाल नागपुर में आयोजित विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में उठाया गया था. आरोप लगाया गया कि आरोपियों को बचाने के लिए पैंतरेबाजी की जा रही है और 5 साल से जांच रोक दी गई है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में संपन्न विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में आश्वासन दिया था कि इस मामले की जांच चल रही है और जल्द ही अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी. इसलिए इस मामले में क्या रिपोर्ट आएगी इस पर सबकी नजर है.

कुख्यात गैंग का पुलिस पर हमला, 6 पुलिसकर्मी घायल

वसई: मीरा भाईदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा 3 की टीम ने हत्या और चोरी के एक कुख्यात गिरोह को गिरफ्तार किया है। लेकिन ऑपरेशन के दौरान इस गैंग के हथियारबंद हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए. दिलचस्प बात यह है कि इस गिरोह का सरगना व्यावसियाका की हत्या के मामले में 4 साल तक जेल में था। जमानत पर छूटते ही वह फिर से चोरियां और डकैती करने लगा। सूचना मिलने पर कि लुटेरों का एक गिरोह विरार के पास शिरसाद में एक पेट्रोल पंप को लूटने आ रहा है, अपराध शाखा 3 की एक टीम कार्रवाई में लग गई। लेकिन आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर दिया. हमले में पुलिस उपनिरीक्षक उमेश भागवत समेत पुलिसकर्मी युवराज वाघमोड़े, चेतन निंबालकर, सचिन घेरे और अश्विन पाटिल घायल हो गये. लेकिन पुलिस ने गैंग को जेल में डाल दिया. इनमें गैंग लीडर मनीष उर्फ राजू मोहन चव्हाण, रवींद्र सिंह सोलंकी, भाऊसाहेब गवली, सुखचेन पवार, मोंटी उर्फ नंदू चव्हाण और महिला आरोपी अश्विनी चव्हाण शामिल हैं. 2019 में शाहपुर में होटल व्यवसायी सुरेश मुनाजे की उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। हत्या लूट करने आए गिरोह ने की थी। मामले का सरगना मनोज उर्फ राजू चव्हाण यालाल गिरफ्तारी के बाद से जेल में था. उन्हें सितंबर में जमानत पर रिहा किया गया था। तब से उसने अपने गिरोह को पुनर्गठित किया और फिर से डकैती करना शुरू कर दिया। गिरोह ने सितंबर से दिसंबर के बीच कुल 5 चोरियां कीं। इसमें विरार में आगजनी और अरनाला गांव में घरों में डकैती भी शामिल है। आरोपी कुख्यात हैं और उन पर पहले भी हत्या का मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस उपायुक्त (अपराध) अविनाश अंबुरे ने बताया कि डकैती के दौरान अगर घर का कोई सदस्य जाग जाता था, तो उनके साथ मारपीट की जाती थी और उनकी हत्या कर दी जाती थी.

ठाणे के प्राइवेट अस्पताल से 53 लाख रुपये की मशीन और चिकित्सा उपकरण चोरी

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक निजी अस्पताल से 53.61 लाख रुपये की मशीन और चिकित्सा उपकरणों की चोरी हो गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह घटना कलवा के खारेगांव स्थित सफायर अस्पताल में नौ जनवरी को शाम साढ़े छह बजे से अगले दिन दोपहर दो बजे के बीच हुई। कलवा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाने के एक अधिकारी ने कहा, ''अज्ञात व्यक्ति मुख्य दरवाजे से अस्पताल में घुस गए और 53,61,000 रुपये की मशीन व चिकित्सा उपकरण ले गए। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कोर्ट की राणा दंपति को आखिरी चेतावनी
19 जनवरी को हों हाजिर...

मुंबई : मुंबई की विशेष अदालत ने गुरुवार को कहा कि राणा दंपति को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मातोश्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने के मामले में 19 जनवरी को सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, राणा दंपति के लिए यह आखिरी मौका है।

विशेष अदालत के न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने स्पष्ट किया कि यदि जोड़ा अनुपस्थित रहता है तो उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाएगा और सुनवाई 19 जनवरी को तय की गई है। 19 दिसंबर को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का जाप मामले में विशेष अदालत ने निर्दलीय सांसद और उनके पति व विधायक रवि राणा की याचिका खारिज कर दी।

तो जारी होगा जमानती वारंट

इसलिए राणा दंपति के खिलाफ चार्ज फिक्सिंग का मुकदमा चलेगा और इसके लिए कोर्ट ने दंपति को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। राणा दंपति की ओर से अनुरोध किया गया कि दोनों प्रतिनिधि सार्वजनिक विकास कार्यों से संबंधित बैठकों के कारण सुनवाई में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसलिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए सुनवाई में शामिल होने की इजाजत दी जाए। हालांकि अदालत की ओर से यह साफ किया गया कि दोनों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू होगी और उस वक्त दोनों को कोर्ट में मौजूद रहना होगा। साथ ही अगली सुनवाई के दौरान अगर दोनों आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो कोर्ट राणा दंपति को जमानती वारंट जारी करेगी

वसई, भयंदर में बढ़ रहा देह व्यापार
2023 में 52 अपराध, 104 युवतियों की रिहाई...

वसई : विरार के म्हाडा में सेक्स रैकेट का खुलासा होने के बाद शहर में बढ़ती वेश्यावृत्ति का मुद्दा एक बार फिर सामने आ गया है। वसई विरार के साथ-साथ मीरा रोड और भयंदर शहर में बड़े पैमाने पर वेश्यावृत्ति होती है। इस धंधे में विदेश से युवतियों को बरगलाया जा रहा है। ऐसे मामलों में मानव तस्करी निरोधक शाखा ने वर्ष 2023 में 52 मामले दर्ज कर 104 युवतियों को बचाया है। शहर की आबादी के साथ-साथ कई आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। विदेशों से नाबालिग लड़कियों और युवतियों को बरगलाकर देह व्यापार में धकेला जा रहा है। यह गुप्त कारोबार वसई, नालासोपारा, विरार आदि कई हिस्सों में चल रहा है। ऐसे वेश्यावृत्ति के खिलाफ एंटी इम्प्रॉपर ट्रैफिकिंग ब्रांच की ओर से कार्रवाई की जा रही है. नालासोपारा की अनैतिक तस्करी निवारण शाखा के पुलिस निरीक्षक संतोष चौधरी की टीम ने वर्ष 2023 में PITA (अनैतिक तस्करी निवारण अधिनियम) के तहत कुल 21 मामले दर्ज किए और 40 युवतियों को बचाया। इसमें 2 नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं. इस मामले में कुल 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इसमें 13 महिलाएं और 16 पुरुष शामिल हैं। इसमें वेश्यावृत्ति कराने वाले आरोपियों के साथ-साथ दलाल भी शामिल हैं। अनैतिक तस्करी रोकथाम के भयंदर सेल ने भी वर्ष 2023 में PITA अधिनियम के तहत 31 अभियान चलाए और 64 युवतियों को बचाया। इनमें 4 नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं. इस मामले में 54 दलालों को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस इंस्पेक्टर समीर अहिरराव ने बताया कि इनमें 22 महिलाएं शामिल हैं. विरार के पश्चिम में बोलिंज में म्हाडा की एक कॉलोनी है। डी-7 बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 2104 में अंतरराष्ट्रीय देह व्यापार चल रहा था.

बजरी मशीन में गिरने से मजदूर की मौत !

ठाणे: घोड़बंदर के नागलाबंदर इलाके में बजरी मशीन में गिरने से मजदूर भालबद्र यादव (40) की मौत हो गई है. सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में खादी यंत्र मालिक के खिलाफ कासरवडवली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। भालबदर अपनी पत्नी, तीन बेटियों और एक बेटे के साथ नागलाबंदर इलाके में रहता था। वे क्षेत्र में बजरी मशीनें चलाने का काम करते हैं। गुरुवार शाम को वे बजरी मशीन में बजरी का पाउडर बनाने का काम कर रहे थे। उसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह इस मशीन में गिर गया. मशीन चलने के कारण वे उसमें फंस गये. घटना की जानकारी इलाके के अन्य मजदूरों को मिली. इसके बाद मशीन बंद कर दी गई। मजदूरों ने उन्हें बजरी मशीन से बाहर निकाला। उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्हें वहां से ठाणे जिला सरकारी अस्पताल ले जाया गया. जब डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो उसे मृत घोषित कर दिया गया. इस घटना के बाद पूरा इलाका शोक व्यक्त कर रहा है. इस संबंध में भालबद्र की पत्नी संजू ने कासारवडवली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है.

मुंबई में हॉस्पिटल से बच्चा चुराने वाली महिला गिरफ्तार, पुलिस को इस तरह दे रही थी चकमा...

परिजनों को इस तरह दिया चकमा...

पुलिस ने बताया कि महिला पहले शताब्दी हॉस्पिटल गई जहां वह बच्चे की मां के साथ इधर उधर की बातें की... जब वह विश्वास में आई तब आरोपी महिला ने बच्चे की मां को चेहरे पर गन्दा लगने का बहाना करके उन्हें मुंह धोने भेज दिया और बच्चा लेकर फरार हो गई थी. वहीं इस घटना के बाद अब शताब्दी हॉस्पिटल के सुरक्षाकर्मी और देखरेख करने वालों पर प्रश्न खड़े होने लगे हैं.

मुंबई : मुंबई की कांदिवली पुलिस ने हॉस्पिटल से बच्चा चुराने वाली महिला को गिरफ्तार किया हैं. मुंबई के कांदिवली स्थित शताब्दी हॉस्पिटल से 20 दिन के बच्चे को चुराकर फरार हो गई थी. पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर बच्चे को सुरक्षित उसके माता पिता को सौप दिया हैं. पुलिस के अनुसार महिला पुलिस को गुमराह करने के लिए बच्चे को लेकर पहले मालवणी इलाके मे लेकर गई थी. महिला से पूछताछ में यह पता चला की महिला की शादी डेढ़ साल पहले हुई थी लेकिन उसे बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए वह परेशान थी...और महिला ने बच्चा लेकर भाग गई थी.

चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला... महाराष्ट्र साइबर सेल ने यूट्यूब चैनल और अन्य के खिलाफ दर्ज किया केस

मुंबई : महाराष्ट्र साइबर सेल ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में एक यूट्यूब चैनल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने महाराष्ट्र साइबर को उस यूट्यूब चैनल के बारे में सूचित किया था जिसमें बाल अश्लीलता पर सामग्री है. क्हव की धारा 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य), आईटी अधिनियम और POCSO की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई. अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर महाराष्ट्र की पुलिस क्या एक्शन लेगी इसपर

सबकी नजर टिकी हुई है.

क्या होता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी ?

चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक अपराध है जिसमें बच्चों को ऑनलाइन संबंधों के लिए फुसलाना, फिर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना या बच्चों से जुड़ी यौन गतिविधियों को रिकॉर्ड करना, एमएमएस बनाना और उन्हें दूसरों को भेजना आदि शामिल है. बाल पोर्नोग्राफी नाबालिगों को निशाना बनाती है. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है.

भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपराध माना जाता है. देश में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 में पोर्नोग्राफी से संबंधित कई प्रावधान हैं. हमारे देश में अकेले पोर्न देखना कोई अपराध नहीं है. लेकिन वायरल करना अपराध है. इस मामले में दोषी ठहराए गए लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 6, 67 (ए), 67 (बी) के तहत कारावास और जुर्माना हो सकता है.

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८९ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com